न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 309/2021
जी.सी.एम.एस. नं. 2021/1624

दर्ज दिनांक:– 30.09.2021
निर्णय दिनांक : 21.03.2022

सकीना बनाम आबिद आदि

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल........ मुबलिक –.............निल................. दाबन.–.............................निल.................. ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..................निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................निल..................... . का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 03 सन 2022 को जारी की गई।

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 309 / 2021
टी.सी.एम.एस. नं. 2021 / 1624

दर्ज दिनांकः– 30.09.2021
निर्णय दिनांक : 21.03.2022

सकीना बनाम आबिद आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया के भूमि ख.नं. 641 कुल रकबा 1.14 है0 में वादीया के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढा गौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.02.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांकः– भू0अ0 / 2022 / 387 दिनाक 22.02.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.02.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/3/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested